स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-Daff/69/2019-O/o DIR (TC)(UP)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- **26.11.2020**

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
साईराम प्राइवेट आईटीआई,
गेट संख्या- 271 ग्रामीण - बिरिया पोस्ट - बमूरीपुर
जिला - औरिया, उत्तर प्रदेश - 206122

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2581/ टी-3 / रा० प० / सं० / शिकायत / 2020 दिनांक 09.11.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमे राज्य निदेशालय ने उक्त आईटीआई की शिकायती पत्र के आधार पर निरीक्षण करते हुए जाँच की कार्यवाही पूर्ण की एवं संस्थान की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गयी है **जाँच रिपोर्ट संलग्न हैं** ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस महानिदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (11.12.2020 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

- आपको कारण बताओ नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर प्रेषित करना है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR09001752)
3. श्री अरुण कुमार वर्मा, मु० चोधरयाना, जालौन, उत्तर प्रदेश । (मोबिल नंबर - 9838623196)

26/11/2020

(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

20/11/2020

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

TO DS

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सेवा में,

निदेशक(प्रशिक्षण),
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,
प्रथम तल, सी0आई0आर0टी0एस0 बिल्डिंग,
आई0ए0आर0आई0 कैम्पस, पूसा नई दिल्ली-110012

पत्रांकः 2581 /टी-3/रा0प0/सं0/शिकायत/2020 लखनऊ, दिनांक 09/11, 2020

विषयः **जनपद औरैया में निजी औ0प्र0संस्थानों की निरीक्षण आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशालय पत्र संख्या-699 टी-3/रा0प0/सं0/शिकायत/2020 दिनांक 17.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0) कानपुर मण्डल कानपुर को वि-यांकित प्रकरण पर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि संयुक्त निदेशक(प्रशि0/शिक्षु0) कानपुर मण्डल कानपुर के पत्र संख्या-सं0नि0का0/निजीकेन्द्र/निरीक्षण/2020/637 दिनांक 07.10.2020 द्वारा सांईराम निजी औ0प्र0संस्थान, औरैया(कोड संख्या-2505) तथा एस0आर0 निजी औ0प्र0संस्थान, दिबियापुर, औरैया (कोड संख्या-3670) की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है।

अतः उपरोक्त दोनों निजी संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.10.2020 की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुये, जिसमें संस्थान की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की गयी है, को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

C. Section, DGT
Dy. No. 3464
Date 24/11/2020

भवदीय,
6/11/2020
(कुणाल सिल्कू)
निदेशक

Shyam-2020

ई0मेल

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिक्षु0)
कानपुर, मण्डल,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर,
पाण्डुनगर, कानपुर–208005

सेवामें,

निदेशक (नाम से)
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0
लखनऊ।

पत्रांकः– स0नि0का0 / निजी केन्द्र / निरीक्षण / 2020 /637 **दिनांकः** 07.10.2020

विषयः– जनपद औरैया में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की निरीक्षण आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्रांक–699 / टी–3 / रा0प0 / सं0 / शिकायत / 2020 दिनॉक–17.08.2020 के अनुपालन में जनपद औरैया के सांईराम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बमुरीपुर औरैया (कोड संख्या–2505) एवं एस0आर0 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दिबियापुर औरैया (कोड संख्या–3670) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या फोटोग्राफ्स सी0डी0 के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक--यथोक्त

भवदीय

(राहुल देव)
संयुक्त निदेशक(प्रशि0 / शिक्षु0)

श्री रमेश शुक्ला (A.O)
कृ. तत्काल
12.10.2020

श्री वीरेन्द्र
12.10.2020

पत्रावली दिनांक 14.10.2020 को
पी.ई.

संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिक्षु0)कानपुर मण्डल द्वारा दिनांक–29.09.2020 को सांईराम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बमुरीपुर औरैया (कोड संख्या–2505) की शिकायत पर की गयी जांच आख्या का प्रेषण (दो प्रतियों में) –

निदेशालय के पत्र संख्या–699 / टी–3 / रा0प0 / सं0 / शिकायत / 2020 दिनांक–17.08.2020 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री अरुण कुमार वर्मा पुत्र श्री हीरालाल वर्मा मु0–चौधरयाना, जालौन, उ0प्र0 की शिकायत के क्रम में दिनाक–29.09.2020 को अपरान्ह 01.00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजीतमल औरैया के साथ सांईराम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बमुरीपुर औरैया (कोड संख्या–2505) का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। संस्थान को भारत सरकार द्वारा व्यवसाय फिटर में (2+2+2) कुल–06 यूनिट एवं विद्युतकार (2+2+2) कुल–06 यूनिट की मान्यता वर्ष–2013 में प्रदान की गयी है।

निरीक्षण के दौरान उक्त प्रशिक्षण केन्द्र के मुख्य गेट खुला था, किंतु कार्यशाला का गेट बंद था। परिसर की बाउण्ड्री के अंदर खेती की जा रही थी एवं गाय, भैसों का तबेला चलता मिला। संस्थान परिसर में आटा चक्की चलने की शिकायत की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि एक बंद कक्ष को प्रबंधक द्वारा चाबी न होने की बात कहकर खोलकर दिखाया नहीं गया। संस्थान परिसर में पीछे बाहर की ओर बिजली के दो मीटर लगे थे, लेकिन मौके पर उपस्थित प्रबंधक द्वारा एक भी मीटर के मूल कागज (बिजली का बिल के साथ मीटर सीलिंग रिपोर्ट) नहीं दिखा सके। प्रशिक्षण केन्द्र में कोई भी प्रशिक्षार्थी उपस्थित नहीं था। फिटर की कार्यशाला को खुलवाने पर वहां मशीनें व मोटरें अस्त–व्यस्त मिली। विद्युतकार की कार्यशाला अत्यधिक प्रयास के उपरांत निरीक्षण हेतु खोली गयी, जिसमें मशीनें एवं मोटरे कूडे की तरह धूल में पडी थी। कार्यशाला में अधिकांश मोटरें व ड्रिल मशीनें प्लेटफार्म से गायब थी। कहने के बाद वहां उपस्थित अनुदेशक ने जनरेटर चलाकर मशीनें / मोटरें चलाकर दिखायी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान में प्रशिक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। निरीक्षण में पाया गया कि संस्थान की विद्युतकार की कार्यशाला में जाले लगे थे, थ्योरी की कक्षाओं की स्थिति भी बैठने लायक नहीं थी।

निरीक्षण के समय संस्थान में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, जबकि विभाग द्वारा दिनांक–21.09.2020 से आईटीआई का संचालन किये जाने के निर्देश होने के बाद भी संस्थान में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिये आवश्यक रॉ मटेरियल एवं सहायक टूल्स आदि संस्थान में नहीं मिले। प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराया गया बी0सी0सी0 प्रमाण पत्र भी संदेहास्पद (छायाप्रति संलग्न) है। सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र संख्या–7824 दिनांक–25.11.2013 (छायाप्रति संलग्न) जो 05 वर्ष के नवीकृत किया गया था का अद्यतन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है। थ्योरी कक्षाओं की दशा अत्यंत खराब मिली, कक्षों में लाइट का एक भी प्वाइंट एवं पंखे भी नहीं लगे थे। आई0टी0 रुम में एक भी कम्प्यूटर एवं ए0सी0 नही था। टेबलों में मोटी धूल की परत जमा थी। एक क्लास रुम में ड्रेसिंग टेबल एवं बिस्तर, कपडे आदि पडे / टंगे थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्लासरुम का प्रयोग प्रशिक्षण के स्थान पर रिहायश हेतु प्रयोग किया जा रहा है। अपरान्ह में निरीक्षण के समय संस्थान का बंद मिलना व कार्यशाला, थ्योरी की कक्षाओं की दुर्दशा घोर लापरवाही एवं संस्थान के पंजीकृत प्रशिक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

निरीक्षण के समय सांईराम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बमुरीपुर औरैया (कोड संख्या–2505) फर्जी तरीके एवं मनमाने ढंग से आईटीआई संचालित किये जाने की शिकायत की पुष्टि पायी गयी जिसके फलस्वरुप सांईराम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बमुरीपुर औरैया की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(राहुल देव)
संयुक्त निदेशक,(प्रशि0 / शिक्षु0)

पंत्राकः—नि0 / 001 / औरैया / 2020

कार्यालय—संयुक्त निदेशक(प्रशि0 / शिक्षु0)
कानपुर मण्डल,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,परिसर
पाण्डुनगर कानपुर। **दिनांक— 07.10.2020**

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, औरैया।
3. प्रधानाचार्य ,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अजीतमल औरैया।

(राहुल देव)
संयुक्त निदेशक,(प्रशि0 / शिक्षु0)

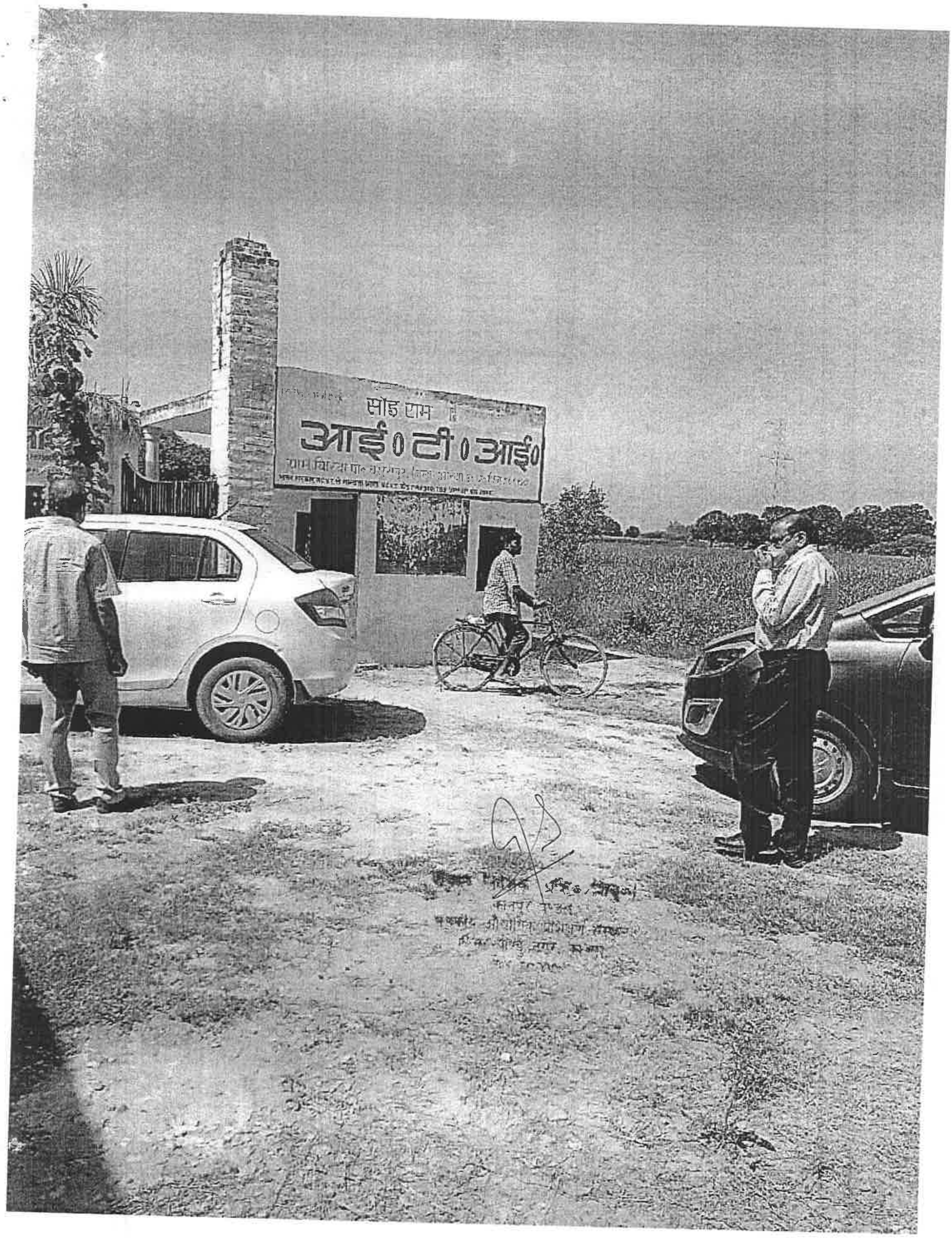
आई0टी0आई0

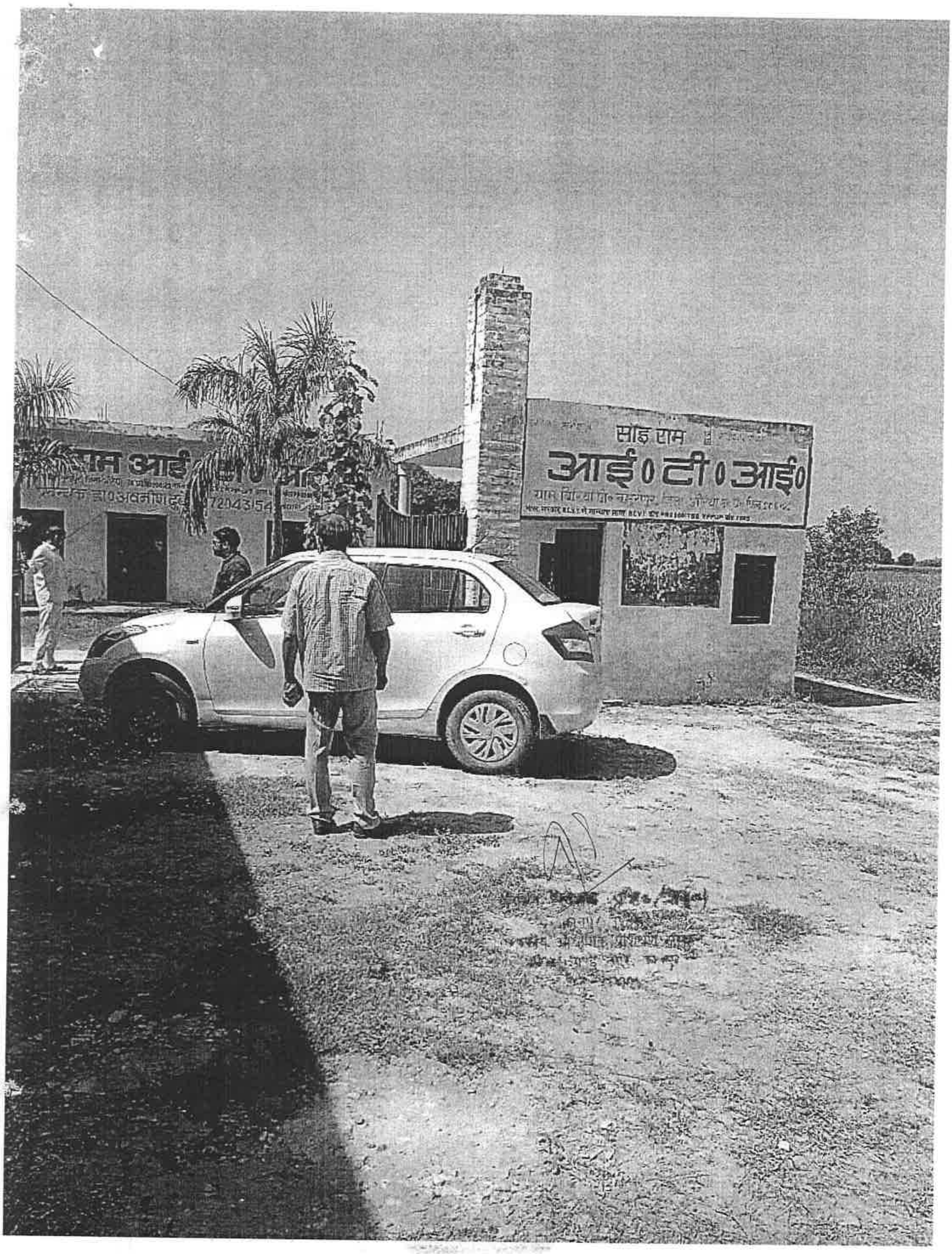
आई0टी0आई0

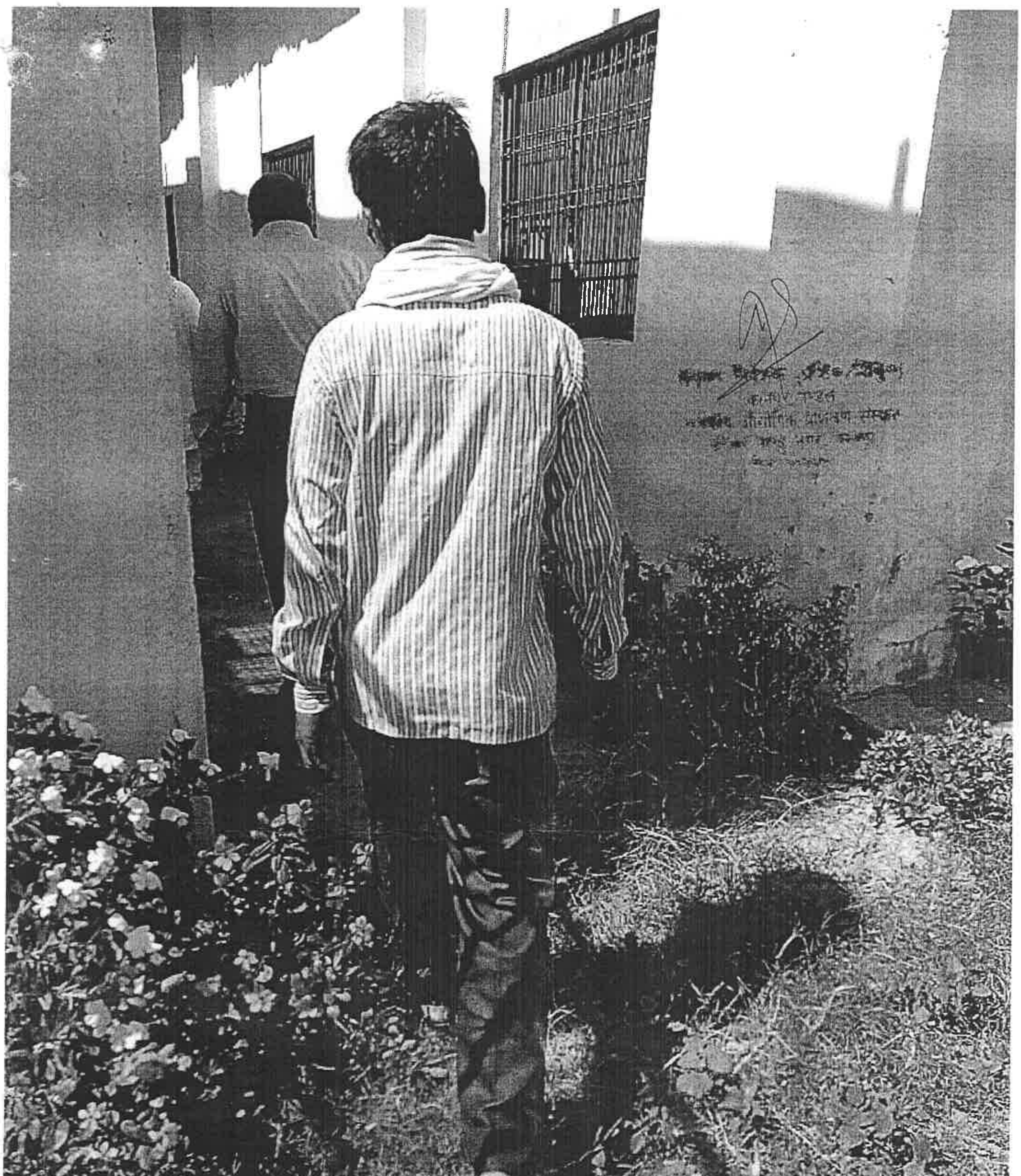

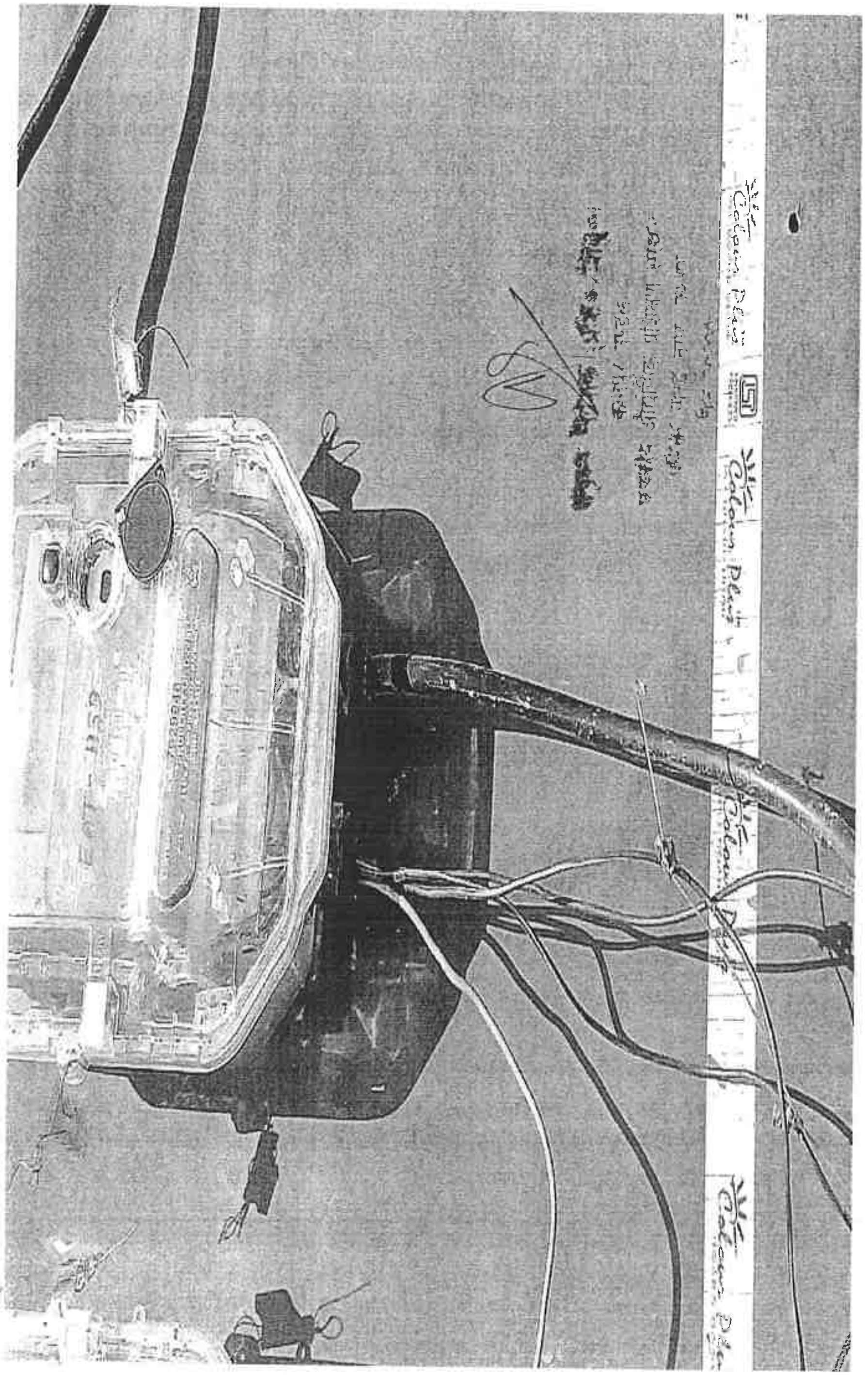

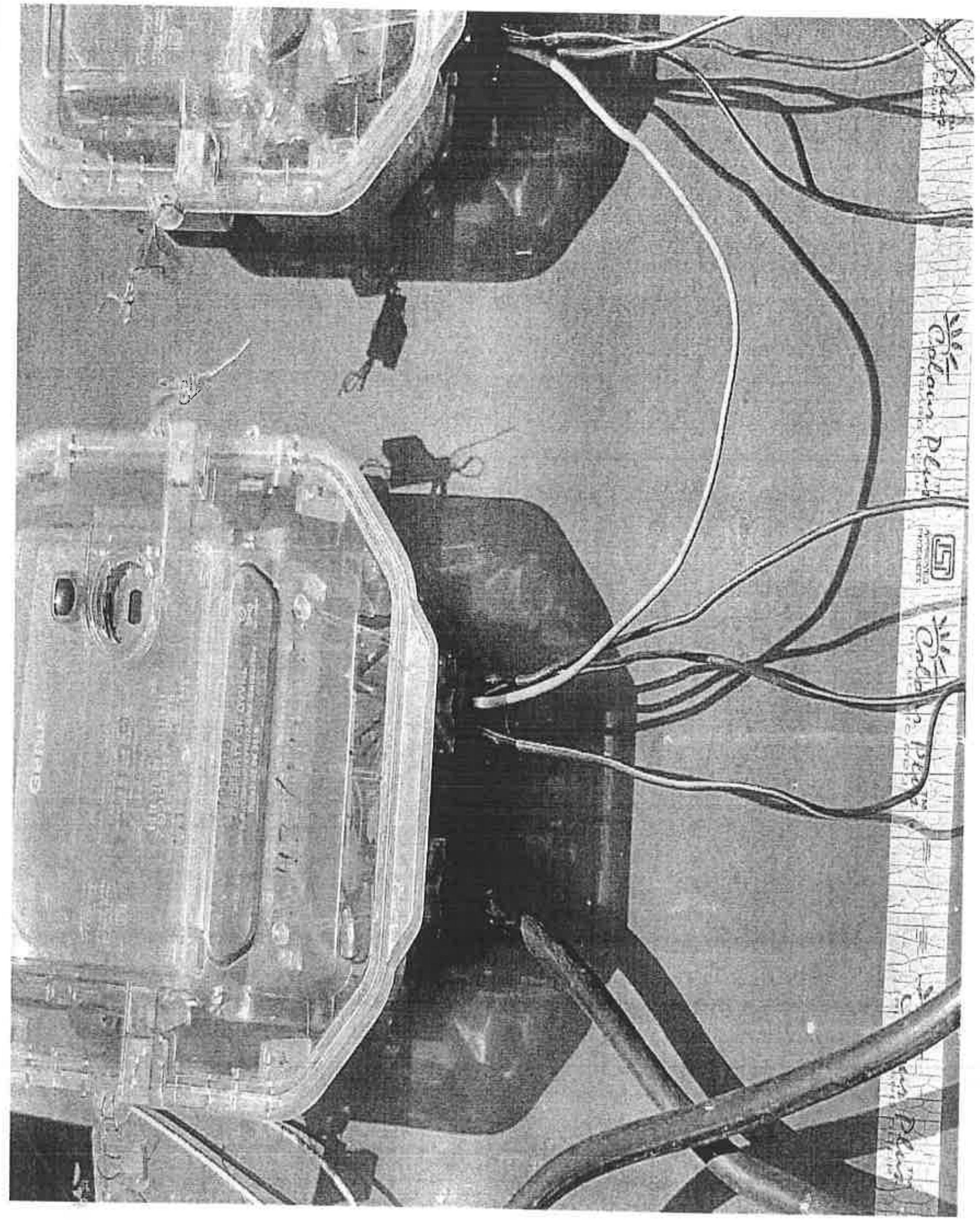

(2/4)

RURAL

Format for Submission of certificate on Competent authority for "No Approved Plan"

TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that Sai Ram Pvt. I.T.I. (Name of ITI and Address) is situated in Gata No. 271 (Plot No./Khasra No./Gatra No.) under Rural (Rural/Urban Area) of Vill - Biriya .... (Municipal Corporation/revenue Village) where no statutory plan(s) i.e. master plan/development plan, regional plan, peripheral plan etc prepared under the relevant state act(s) are applicable or exist.

(20/5/18)

महोदय,
अवनीश कुमार दुबे पुत्र श्री राधाकृष्ण दुबे [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] ग्राम बिरिया में भूमि गाटा सं० 271 ग्राम 2999 वर्गमी. साईराम I.T.I. स्कूल किराये पर संस्थान में स्थित है उक्त मकान किराये पर लिया है चलाने हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है

Awneeshkumar
9/05/18

[illegible]

*Signature 19.05.18
Name .... अजीत कुमार सिंह
Designation .... तहसीलदार औरैया
Address ....
....

#Mobile No. 9454416436
#Email ID. ajeet.kumarsingh.6436@gmail.com

Office Seal

(*Note: To be issued by the competent authority nor below the rank of Tehsildar/Sub-divisional Magistrate / District Planning Office)

(#Note: The Mobile No. and Email ID are mandatory to mentioned by Issuing Authority for further communication and reference).

Manager
SAI RAM I.T.I.
BIRIYA-AURAIYA

संख्या 7024
25/11/13

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार

केन्द्रीय कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश कानपुर

नवीकरण संख्या K-1171 2013

फाइल संख्या I K-38197

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि राधाकृष्ण शिक्षण, प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान ग्राम-पो० बमुरीपुर जनपद - औरैया (उ०प्र०) को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र संख्या 754/2007-08 दिनांक 31-8-2007 को दिनांक 31-8-2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1850/- रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 25/11 2013

29/9/20
Manager
S.R. I.T.I.
KAINJARI DIBIYAPUR, AURAIYA

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 4 निबंधक फर्म एवं चिट्स—11-10-2006&(3632)-5,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

सेवा में, प्रबन्धक /मंत्री